BCC:ISD:110:10:79

Date: 14th February 2018

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda - Notice of Extraordinary General Meeting (EGM)

Further to our letter no. BCC:ISD:110:16:60 dated 09th February 2018 advising of Extraordinary General Meeting (EGM) for approval of issuance of Equity Shares to Government of India on preferential basis upto Rs. 5,375 Crore, we enclose the Notice of EGM scheduled to be held on 13th March 2018 at Vadodara (Gujarat).

We request you to take note of the same and upload the information on your website.

Yours faithfully,

K Venkateswarlu
General Manager
Secretary to Board

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733
ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.co.in

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Extraordinary General Meeting

मंगलवार, 13 मार्च, 2018, प्रात: 10.00 बजे, वडोदरा
Tuesday, 13th March, 2018 at 10.00 a.m. At Vadodara

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

निवेशक सेवाएं विभाग:
बडौ़दा कार्पोरेट सेंटर, सातवां तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.
ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विषय
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस

NOTICE.......... 02

टिप्पणियां

NOTES.......... 04

व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE.......... 09

प्रॉक्सी फार्म

FORM OF PROXY.......... 11

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

नोटिस

एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को प्रात:10.00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा – 390 020** में संपन्न होगी.

'**विशेष संकल्प**' के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना.

"**यह संकल्प किया जाता है** कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे 'योजना' कहा गया है) औरबैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे 'अधिनियम' कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और/या इस बारे में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधनों के अध्यधीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 अद्यतन तारीख को यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन) सेबी (सूचियन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमनों) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निधार्रित विनियमनों के अध्यधीन और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और /या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमनों के अनुसार निधार्रित रु. 155.46 (एक सौ पचपन रुपये छियालीस पैसे मात्र) के प्रीमियम पर रु. 2/- (रुपए दो मात्र) के 34,13,56,534 (चौतीस करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार पांच सौ चौतीस मात्र) इक्विटी शेयर नकद मूल्य पर 5,375 करोड़ रुपये (पांच हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) का सृजन करने, उन्हें ऑफ़र करने, उन्हें जारी करने और उन्हें भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित करने की मंजूरी दी जाती है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख **09 फरवरी, 2018** है."

Bank of Baroda

Head Office : Mandvi, Baroda - 390 006

Corporate Office : Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BANK OF BARODA will be held on **Tuesday, 13th March 2018, at 10.00 a.m.** at **Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a **"Special Resolution":**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (herein after referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (herein after referred to as the 'Scheme') and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 34,13,56,534 (Thirty Four Crore Thirteen Lac Fifty Six Thousand Five Hundred and Thirty Four only) number of equity shares of Rs. 2 each (Rupees Two only) for cash at a premium of Rs. 155.46 (Rupees One Hundred and Fifty Five and Paise Fourty Six only) as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto Rs. 5,375 crore (Rupees Five Thousand Three Hundred Seventy Five Crore only), on preferential basis to Government of India."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 09th February 2018."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों के निर्गम, आबंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने /मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगें और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और उसे एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और वह इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिए बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत, को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार उनका अनुमोदन माना जाएगा."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि निदेशक मंडल को एतदद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशक/कों को अलग-अलग अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

पी. एस. जयकुमार

(पी. एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09 फरवरी, 2018

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or any of the Executive Director/s severally or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of Board of Directors
For **BANK OF BARODA**

P. S. Jayakumar

(P. S. Jayakumar)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 09th February, 2018

टिप्पणियां:

1. व्याख्यात्मक विवरण

कार्य-सूची की मदों के बारे में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपनी ओर से बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा /होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है. तथापि, इस तरह से प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह इस नोटिस के साथ भेजे गए फॉर्म "बी" में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **गुरूवार, 08 मार्च, 2018 को सांय 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, **केवायसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, सातवां तल बड़ौदा भवन, आर.एस. सं. 576, आर.सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी वडोदरा(गुजरात) -390 000** में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् **गुरूवार, 08 मार्च, 2018** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् **सायं 5.00 बजे** तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात मंगलवार, 06 मार्च, 2018 को केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा. अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त में वोट देने के लिए पात्र हैं, जो कंपनी नहीं है, वर्तमान में एक व्यक्ति है या प्रॉक्सी द्वारा या जो कंपनी के रूप में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या प्रॉक्सी द्वारा नामित है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने हेतु पात्र होगा.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा.

NOTES:

1. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed with this Notice. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Guj.)-390007 not less than four days before the date of meeting i.e. **on or before the 5.00 p.m. on Thursday, 08th March 2018** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **Thursday, 08th March 2018.**

4. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank as on the Cut-off Date fixed for the purpose i.e. Tuesday, 06th March 2018.**

Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

5. उपस्थिति – पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची) :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची–सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक पास संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है, जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे असाधारण बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना मत दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निधारिर्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची – सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जैसा मामला हो. **ऐसे शेयरधारक जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपना वोट डाल दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुन: नहीं दे सकते.**

6. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें, जिसके लिए ई–वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने सर्वश्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कं. को ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालन करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है. ई-वोटिंग वैकल्पिक है. मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं.

ई -वोटिंग से संबंधित शैड्यूल/अनुदेश निम्नानुसार है : -

क) उपर्युक्त अंतिम तथा विनिर्दिष्ट तारीख तक वोट करने वाले पात्र शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए यूआरएल https://evoting.karvy.com का उपयोग कर सकते हैं. **वोटिंग के लिए पोर्टल शनिवार, 10 मार्च, 2018 को सुबह 9:00 बजे से सोमवार, 12 मार्च, 2018 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा.**

ख) लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लेखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड को प्रविष्ट करें.

ग) उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

घ) आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुन: प्राप्त करने हेतु आप अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना**

5. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Ballot Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the Voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of Shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. **Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.**

6. Remote E-Voting

Pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, your Bank is pleased to provide remote E-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. To participate through E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form can cast their vote electronically, through remote E-voting.

The schedule/instructions for E-Voting are as under:

a) The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Specified/Cut-Off Date, to use the following URL for remote e-voting: https://evoting.karvy.com. **The Portal will remain open for voting from 9.00 a.m. on Saturday, 10th March 2018 up to 5.00 p.m. on Monday, 12th March 2018 (both days inclusive).**

b) Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed with this Notice.

c) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

d) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may

पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.

ड़) आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

च) सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर शेयरधारक द्वारा विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख (06 मार्च, 2018) को धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी. आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित चुनाव लडने् वाले उम्मीदवारों में से अधिकतम दो के पक्ष में मतदान करने की अनुमति होगी. दो से अधिक के पक्ष में मतदान करने पर आपका वोट खारिज माना जाएगा. पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प के लिए वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

छ) एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

ज) पोर्टल उपर्युक्त सूचित अनुसार बंद हो जाएगा और इसके बंद होते ही यह सुविधा डिसेबल हो जाएगी.

झ) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

ञ) ऐसे शेयरधारक जो ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद और ई-वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख के बीच में शेयर खरीदते हैं तथा अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल रजिस्टर्ड कराते हैं तो उन्हें इस संबंध में सूचना आरटीए द्वारा दी जाएगी. इस तरह के अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट को देख सकते हैं.

ट) किसी भी जानकारी के लिए आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते है अथवा मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू, (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 से फोन नं. 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

e) You need to login again with the new credentials.

f) On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., Bank of Baroda. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (06th March 2018) will appear. You will have option to vote for the Resolution by click on ASSENT or DISSENT. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

g) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

h) The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

i) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

j) Shareholders acquiring Shares between the date for dispatch of the Notice for EGM and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

k) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

7. असाधारण सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

चुनाव की कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग साथ ही साथ बैठक में मतदान के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले मतदान में भाग लेने हेतु अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक में इस प्रक्रिया के बारे में ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा व्याख्या की जाएगी. वोटों की संख्या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

सर्वश्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कं. कंपनी सचिव द्वितीय संवीक्षक के रूप में अपनी सहमति से यह कार्य करने हेतु नियुक्त एक शेयरधारक संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

8. ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग तथा असाधारण सामान्य बैठक में मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा बैठक की समाप्ति पर 48 घंटे के भीतर की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

9. पते में परिवर्तन :

क) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/सीडीएसएल पर पंजीकृत पते को बैंक द्वारा नोटिस पत्राचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में पंजीकृत पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तुरंत अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो पते से संबंधित हों. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को इस नोटिस में उपलब्ध पते पर तथा बैंक की वेबसाइट पर भी दें.

ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

10. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

7. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the Agenda Item shall be done by remote e-voting as well as by Voting at the Meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting, the process of which will be explained at the meeting by the E-Voting Agency. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date.

M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries shall act as Scrutinizer along with one shareholder to be appointed as second scrutinizer on his consent to act as such.

8. RESULTS OF E-VOTING

The consolidated results of remote E-voting and voting at the EGM will be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

9. Change of Address:

a) The Bank, for sending Notices/communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that address registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, at the address available in this Notice and also on Bank's website.

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

11. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमैट खाता है. डीमैटरियलाइजेशन का लाभ निम्नलिखित है (i) झंझट रहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का डर नहीं (iii) लाभांश/कार्पोरेट लाभ का तुरंत एवं सीधे क्रेडिट होना (iv) नामांकन सुविधा (v) आस्बा/आईपीओ के माध्यम से सीधे आवेदन.

12. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए.

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(यूनिट- बैंक ऑफ ब़डौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32,
गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली , हैदराबाद – 500 032
फोन नं.. 040 67162222, फैक्स नं. 040 23420814,
टोल फ्री 1800 345 4001
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

13. दावा न किए गए/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हों:

शेयरधारक कृपया नोट करे कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि हेतु अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2010-11 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देख सकते हैं.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 12) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ ब़डौदा, सातवीं मंजिल, बडौद़ा कार्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051.
ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

11. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO.

12. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd
(Unit :- Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 6716 2222, Fax No. 040 2342 0814,
Toll Free : 1800 345 4001
E- mail : einward.ris@karvy.com

13. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2009-10 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2010-11 onwards, the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda.co.in"

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2010-11 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 12) or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051.
E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं) अधिनियम, 2009 के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण, अद्यतन तारीख तक यथा संशोधित.

क) अधिमान निर्गम का उद्देश्य

आस्तियों में निरंतर वृद्धि हासिल करने एवं सुदृढ सीआरएआर बनाए रखने हेतु पूंजी को बढाने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने और बैंक की अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केवल लाभ का पुनर्निवेश ही पर्याप्त नहीं होगा.

भारत सरकार ने, अपने पत्र सं.एफ.नं. 7/38/2014-बीओए दिनांक 24 जनवरी, 2018 के माध्यम से हमारे बैंक को रू. 5, 375 करोड़ की पूंजी देने के अपने निर्णय के संबंध में सूचित किया है. उक्त इश्यू भारत सरकार के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य इश्यू के रूप में होगा अर्थात सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, यथा निर्धारित रू. 155.46 के प्रीमियम पर नकद मूल्य 2 रुपए (दो रुपए केवल) के 34,13,56,534 इक्विटी शेयर है.

जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरुरतों के निधीयन हेतु किया जाएगा जिसमें बैंक की अनुषंगियों एवं सहायक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन को समर्थित करना भी शामिल है.

ख) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार यानी प्रवर्तक को प्रस्तावित है अत: नियंत्रण में कोई परिर्वन नहीं होगा. निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों, अद्यतन तारीख को यथा संशोधित, के अनुरुप निर्धारित किया गया है.

ग) निर्गम-पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरुप

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम पूर्व (02 फरवरी, 2018 को)		निर्गम उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
i	प्रवर्तकों की धारिता (भारत सरकार)	1352490612	58.70	1693847146	64.03
ii	गैर प्रवर्तक धारिता	951668986	41.30	951668986	35.97
	कुल	2304159598	100.00	2645516132	100.00

घ) निर्गम मूल्य का निर्धारण, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, अद्यतन संशोधित, के अध्याय VII में अधिमान निर्गम के लिए लागू एवं यथा वर्णित विनियमों के अनुरूप किया गया है.

ङ) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमनों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करता है.

च) सेबी आईसीडीआर विनियमनों की शर्तों के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अधिमान धारिता संबद्ध तारीख से छह महीनों के लिए लॉक-इन रहेगी. विशेष संकल्प के अनुसरण में आबंटित शेयरों की ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गयी अनुमति की तारीख से यह प्रक्रिया प्रभावी होगी.

छ) भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गम पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व (02 फरवरी, 2018 को)	1352490612	58.70
निर्गम उपरांत	1693847146	64.03

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended up to date.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to achieve a sustainable growth in its assets and maintaining robust CRAR, need is felt for augmenting capital as the plough back of profits alone would not be adequate enough to meet the required capital to support the envisaged asset growth and to support national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

Governments of India vide its letter no. 7/38/2014-BOA dated 24th January 2018, has informed their decision to infuse capital of Rs. 5,375 crore in our Bank. The said issue will be by way of preferential issue of equity shares to GOI i.e. upto 34,13,56,534 number of equity shares of Rs. 2 each (Rupees Two only) for cash at a premium of Rs. 155.46 as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations.

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank including supporting national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

b) As the entire issue is proposed to GOI, the Promoter, there would not be any change in control. The Issue Price is determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, as amended up to date.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 02nd February 2018)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share holding	No. of shares held	Percentage of share holding
i	Promoter's Holding (Government of India)	1352490612	58.70	1693847146	64.03
ii	Non –Promoter Holding	951668986	41.30	951668986	35.97
	Total	2304159598	100.00	2645516132	100.00

d) The Issue Price is determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.

e) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

f) In terms of SEBI ICDR Regulations, pre-preferential holding of GOI shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange for the shares allotted pursuant to the Special Resolution.

g) The Pre and Post issue shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue (As on 02nd February 2018)	1352490612	58.70
Post –issue	1693847146	64.03

ज) बैंक का इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध है. अतः सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) एवं 78(5) और सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) तथा (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं हैं.

झ) भारत सरकार को जारी किए जानेवाले एवं आबंटित किए जाने वाले शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग अनुमोदन की स्वीकृति तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे.

ञ) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमनों की अपेक्षाओं के अनुकूल किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.

ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं तथा बैंक द्वारा इक्विटी शेयर की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों, जैसा कि उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट है जिसमें कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.

ठ) भारत सरकार ने संबंधित तारीख से पहले छः महीनों के दौरान हाल ही में समाप्त भारत 22 ईटीएफ इश्यू में 1,24,49,966 इक्विटी शेयरों की बिक्री की है. बैंक मौजूदा इश्यू की व्यवहारिकता के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 72(2) के तहत सेबी से छूट/अनुमति मांगने के लिए आवेदन कर रहा है.

ड) सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियम 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 72 के अनुरूप अधिमानता आधार पर शेयरों को जारी करने एवं आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है.

ढ) बैंक, जहां भी अपेक्षित हो, सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनः गणना करने का वचन देता है.

ण) बैंक वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निधार्रित समय में नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किए जाने तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां लॉक-इन ही रहेंगी.

त) आपके निदेशकगण इस विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं.

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई वास्ता अथवा इसमें हित निहित नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

पी. एस. जयकुमार

(पी. एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09 फरवरी, 2018

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

i) The shares to be issued and allotted to GOI shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchanges.

j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

l) The Government of India has sold 1,24,49,966 equity shares in the recently concluded Bharat 22 ETF issue during the six months preceding the relevant date. Bank is preferring an application seeking exemption/permission from SEBI from the applicability under Regulation 72(2) of SEBI (ICDR) Regulations to the present Issue.

m) In terms of Regulation 41(4) of SEBI LODR Regulations and Regulation 72 of SEBI ICDR Regulations approval of the Shareholders of the Bank is required by way of Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.

n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

p) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of Board of Directors
For **BANK OF BARODA**

P. S. Jayakumar

(P. S. Jayakumar)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 09th February, 2018

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बडौ़दा

प्रधान कार्यालयः मांडवी, बडौ़दा – 390 006

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियों नं.		डीपीआईडी नं.	
		ग्राहक आईडी नं.	
(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं हों तो)		(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में हों)	
शेयरों की संख्याः			

मैं / हम_______________________________ निवासी_______________________
जिला_______________________ राज्य_______________________________
बैंक ऑफ ब़डौद़ा का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती_______________________निवासी
_______________जिला _______________ राज्य _______________ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में
श्री/श्रीमती_______________________________निवासी_______________
जिला _______________ राज्य _______________ को मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को प्रातः 10.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोद़रा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा – 390 020 में या इसकी किसी भी स्थगित तारीख को **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** के शेयरधारकों की होने वाली **असाधारण सामान्य बैठक** में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक _______________माह _______________2018 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _______________________

नाम : _______________________

पता : _______________________

रसीदी टिकट यहां चिपकाएं

प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई लिखत तभी वैध माना जाएगा जब–
   - क. यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
   - ग. कार्पोरेट निकाय के मामले में, उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा कॉमन सील, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अन्यथा रूप में हस्ताक्षरित हो.

   बशर्ते प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ ब़डौद़ा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टांपित न हो और उसकी कॉपी बैंक के प्रधान कार्यालय में **असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 08 मार्च, 2018 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. एस. सं. 576, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर पाइंट से सामने, अलकापुरी, वडोदरा – 39000**0 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रमाणित किया गया हो को जमा न कराया गया हो, बशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में /इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पूर्व में जमा तथा पंजीकृत न किया गया हो.
3. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत हो तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
4. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
6. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office : Mandvi, Baroda - 390006

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We ______________________ Resident/s of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt ______________________ resident of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ or failing him / her, Shri / Smt ______________________ resident of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank of Baroda to be held on Tuesday, 13th March 2018 at 10.00 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this ______________ day of ______________ 2018

Signature of the Proxy ______________________

Name : ______________________

Address : ______________________

____

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of first named / Sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/ her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the **Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Guj.)-390007, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Extra-ordinary General Meeting, i.e. on or before 5.00 p.m. on 08th March 2018** together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank